मनमाना कचरा टैक्स जनता पर अधिरोपित, विरोध में उठीं आवाजें

मंडला, देशबन्धु। नगर पालिका मंडला द्वारा नगर में जन सामान्य को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर जनता को लूटे जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं जिससे शहर के आम नागरिकों में रोष व्याप्त है तथा नगर पालिका परिषद मण्डला की मनमानी पर जनता अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को कोस रही हैं।

प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि विगत कई वर्षों से नगर के मकानों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नगर पालिका परिषद मंडला द्वारा अपने अधीनस्थ सफाई मित्रों से कराया जाता था, परन्तु पर्याप्त नियंत्रण एवं परिस्थितियों अनुरूप न होने के कारण नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था के संदर्भ में उन पर अंगुली न उठे अर्थात स्किन सेविंग डिवाइस की भांति कचरा कलेक्शन का ठेका जबलपुर के अल्ट्रा ग्रुंप को दे दिया गया तथा नगर में अल्ट्रा ग्रुप द्वारा कचरा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।

विगत दिनों नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि घर-घर कचरा संग्रहण हेतु आवासीय घरो एवं व्यवसायिक दुकानों जैसे चाय पान दुकानों में 30/- प्रति माह, होटल अर्थात चाय नास्ता, भोजनालय हेतु 50/- प्रति माह, बड़े मैरिज लान एवं लाज इत्यादि से 1000/- प्रति माह, छोटे मेरिज लान एवं लाज से 500/- प्रति माह तथा अन्य दूकानों/पथकर विक्रेताओं से रुपया 50/- प्रति माह कचरा टेक्स वसूला जावेगा, जिसकी

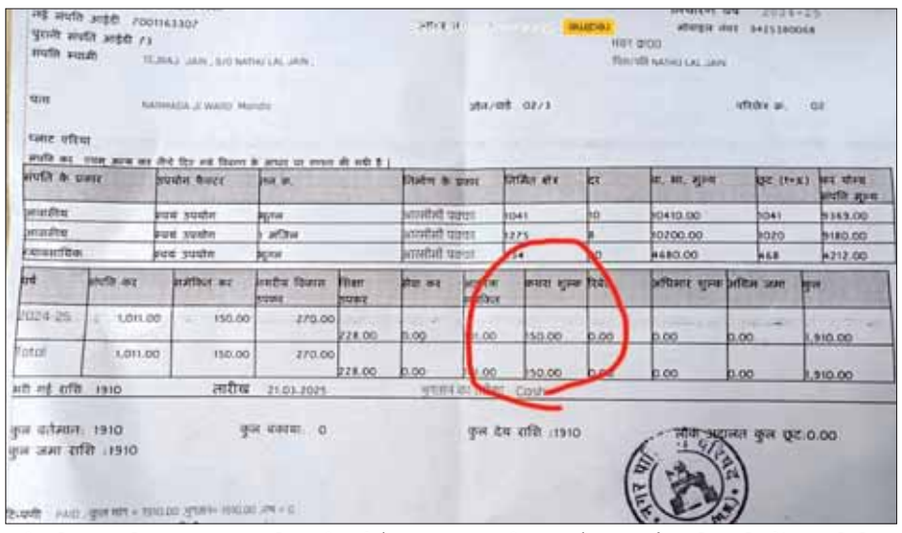

स्वीकृति नगर निकाय द्वारा प्रसारित की गई है. यह राशि ठेकेदार अन्ट्रा क्लीन एण्ड केयर सर्विसेज जबलपुर द्वारा वसूली जावेगी।

नगर के अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा देशबंधु कार्यालय में उपस्थित होकर नगरपालिका द्वारा वसूल किए गए सम्पत्ति एवं अन्य करों की रसीदें दिखाई गई जिसमें सम्पत्ति कर, समेकित कर, नगर विकास उपकर, शिक्षा उपकर, सेवा कर, अतिरिक्त समेकित कर के अलावा कचरा शुल्क भी वसूला गया है तथा वर्तमान में भी उपरोक्तानुसार कर वसूली चालू है। नगर के बुद्धिजावियों तथा विभिन्न अधिवक्ताओं का यह मानना है कि जब नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व से कचरा शुल्क नागरिकों से वसूला जा रहा है ऐसी स्थिति में दोबारा नागरिकों पर कचरा शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा तथा दो बार कचरा शुल्क वसूल किया जाना अवैधानिक है. इन लोगों का यह भी मानना है कि नगर वासियों से कचरा शुल्क वसूलने पर नगर का सफाई व्यवस्था का मौलिक दायित्व नगर पालिका प्रशासन का है तथा वे अपने उत्तरदायित्व को अनदेखा नहीं कर सकते हैं. नगर पालिका से सम्बन्धित टेक्स वसूलने हेतु नगर पालिका परिषद को अधिसूचित किया गया तथा इस हेतु उन्हें वैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ठेकेदार द्वारा वसूली किए जाने के अधिकार से नगर में अराजकता तथा गुण्डागिरी का माहौल बनने की पूर्ण सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. यहाँ यह भी कहना नितान्त आवश्यक होगा कि नगर की जनता ने 24 वाडों से अपने प्रतिनिधि चुनकर नगर पालिका को भेजे गए थें ऐसी स्थिति में इन 24 पार्षदों की यह मौलिक जबाबदारी थी के पुरजोर तरीके से नगर पालिका परिषद में रखे गए उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का विरोध करते।

जिले के नगर पालिका क्षेत्र की सोई हुई जनता को जगाने का एक प्रयास किया दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता कुंभ करणी नींद सोई है जनप्रतिनिधि भूक दर्शक बने परिषद मै बैठे हैं और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोई सफाई नहीं दे रहे हैं एक ही टैक्स कचरा शुल्क के नाम से परिषद भी ले रही है और परिषद द्वारा नियुक्त अल्ट्रा ग्रुप भी घरों से 1रू प्रतिदिन ले रहा है। इस प्रकरण में जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप की जनापेक्षा है ताकि निगम की फिजा खराब न हो तथा आम आदमी को न्याय प्राप्त हो सके।

110 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त, 23 सौ किलो महुआ लहान को किया नष्ट

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण,परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध की गई कार्यवाही में वृत मण्डला में ग्राम मुर्गाटोला में नहर के किनारे मदिरा निर्माण करने वाले अड्डो पर दबिश की कार्यवाही की गई। जिसमें मदिरा का निर्माण करने वाले विभिन्न अड्डो से कच्ची मदिरा 65 लीटर एवं विभिन्न अड्डो से कुल 140 डिब्बो में भरा लाहन पाया। इसी प्रकार वृत नैनपुर में ग्राम जामगांव के निकट भीमकुण्ड में दबिश की कार्यवाही की गई जिसमे तालाब के किनारे स्थित कुआं के नजदिक एवं नाले के किनारे 90 डिब्बा महुआ लहान एवं 45 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। इस तरह कुल 110 लीटर कच्ची शराब जप्त किया एवं कुल 2300 किलो महुआ लहान को नष्ट किया। जप्त मदिरा की एवं लहान की कुल अनुमानित कीमत 2,46,500 ध्-रुपये है।आबकारी बल को देख आरोपी भाग खड़े हुए। अज्ञात आरोपियो के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरिक्षक सर्वेश नागवंशी, शैली सैयाम, दुर्जन कुलेश, हरे सिंह उइके, आरक्षक विजय कमलेश, नेतराम ककोटिया, महेश पटेल, शंकुतला सैयाम, सत्यपाल मरावी, प्रिया नायडू, बिहारी साहू उपस्थित रहे।

सार-समाचार

शाला भवन जर्जर, पढ़ाई ठप

मंडला, देशबन्धु। ग्राम पंचायत सिंघनपुरी के प्राथमिक शाला सिंघनपुरी तहसील घुघरी जिला मंडला में स्कूल टूटकर गिर गया जिससे सभी ग्राम वासी आज दिन शनिवार को स्कूल को किए बंद, जिसके लिए ग्रामवासियों ने बताया कि हम कई वर्षों से स्कूल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई स्कूल भवन नहीं गया। जिसके लिए अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई वर्षों से स्कूल मरम्मत के पैसे निकले गए, लेकिन आज तक उसपर कोई काम नहीं किया गया। इस स्थिति में बच्चों का भविष्य खराब होगा। जिसका कारण ग्रामीणों ने प्रशासन की लापरवाही बताई।

जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में मंडला शामिल

मण्डला,देशबन्धु। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट बनाने वाले प्रदेश के टॉप 10 जिलों में खंडवा, बालाघाट, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, राजगढ़, अशोकनगर, बैतूल और मंडला जिला शामिल हैं।

कार्यपालन अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप

मडुडला, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अधिकारी कर्मचारी की अवैध वसूली हमेशा चर्चा में रहती है एक ऐसा ही मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है जानकारी मिली है कि मंडला जिले की जनपद पंचायत मोहगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सरपंच सचिव व अन्य कर्मचारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर से पैसे लेने के आप इन पर लगे हैं इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है सही क्या है जांच करके सच्चाई जनता के सामने लाई जाए और ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें तत्काल यहां से हटा दिया जाए तो जनहित में अच्छा होगा ऐसी जन अपेक्षा है।

निरक्षरता का कलंक मिटाने के नाम पर सिर्फ हो रही धांधली

मंडला, देशबन्धु। निरक्षरता का कलंक मिटाने के नाम पर मध्य प्रदेश की मंडला जिले में कई लाख रुपयो की होली खेली गई है और लगातार यह सिलसिला अभी भी जारी है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में निरीक्षरो की संख्या जस..की तस है आज भी इस जिले में ढेर सारे लोग निरक्षर हैं जिन्हें साक्षर करने के नाम पर अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है और यह सभी सिर्फ कागज में साक्षर हो रहे हैं हकीकत के धरातल में आज भी उनके माथे से निरक्षरता का कलंक नहीं मिल पाया है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में साक्षरता की कार्यक्रम संचालित हुए हैं जिनमें सिर्फ धांधली की गई है मनमानी और लापरवाही भी की गई है इस समय उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम मंडला जिले में चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ कागज में ही चल रहा है हकीकत के धरातल में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है सामाजिक चेतना केंद्र बंद पड़े हुए हैं चेतना केदो में कोई सामग्री प्रदान नहीं की जा रही है सिर्फ परीक्षा आयोजित की जाती है और फर्जी परीक्षा लेकर सभी को साक्षर करने का दावा किया जा रहा है जबकि हकीकत सभी को पता है निरीक्षरो को साक्षर करने के लिए कोई सही काम इस जिले में नहीं किया जा रहा है सिर्फ आवंटित धन की होली खेली जा रही हैजन अपेक्षा है तत्काल इस विषय पर शासन प्रशासन द्वारा जांच कराई जाए और मध्य प्रदेश के मंडला जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का सही संचालन किया जाए साक्षर भारत मिशन के शिक्षा प्रेरकों को साक्षरता के कार्यक्रमों में कोई काम नहीं दिया जा रहा है उनकी उपेक्षा की जा रही है और इन्हें कोई स्थाई रोजगार देने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है यह काफी लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और शासन प्रशासन इनके प्रति उदासीन बने हुए हैं नागरिकों की मांग है।

नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

डिंडोरी, देशबन्धु। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप.क्र. 409/2022 विशेष प्रकरण क्रमांक 93/2022 के आरोपी पूरब उर्फ पप्पू पिता स्व संतोष उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पौला थाना मंझौली जिला जबलपुर को नाबालिग बालिका को पत्नी बनाने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए तीन वर्ष कठोर कारावास एवं पांच सौ रुपएए का अर्थदंड, धारा 376(1) भादवि के अपराध के लिए दस वर्ष कठोर कारावास एवं पांस सौ रुपए का अर्थदंड, एससी/एसटी एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा एससी/एसटी एक्ट के अपराध में तीन वर्ष कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपये केअर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर क्रमशः धाराओं में एक माह, एक माह, दो माह, एक माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सूरजपुरा के प्रार्थी थाने में उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 जून 2022 को मेरी पत्नी ने सुबह उठ कर देखा तो घर के सामने का दरवाजा खुला था और बड़ी लड़की नही थी। मुझे शंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर कही ले गया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जायें।

ग्रामीणों को मिली सरकारी योजनाओं की जानकारी

मंडला, देशबन्धु। मंडला जिले के नक्सल प्रभावित बिछिया अनुविभाग के वनांचल क्षेत्र में प्रशासन आपके द्वार चैपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम बांदरवाडी में भी ग्रामीणों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और उन्हें लाभांवित करने के उद्देश्य से चैपाल लगाई गई। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस पहल का लक्ष्य प्रशासन को सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचाना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके।

बिछिया अनुविभाग की अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्रीमती सोनाली देव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारियों ने सीधे गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण भी किया। श्रीमती सोनाली देव ने बताया कि नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य

प्रत्येक ग्रामीण को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

101 आवेदन प्राप्त, 94 आवेदन का मौके पर ही निराकरण-बांदरवाडी में आयोजित प्रशासन आपके द्वार चैपाल में ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में अपने आवेदन प्रस्तुत किए। कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के 16, स्वास्थ्य विभाग के 67, पीएचई के 1, पशु चिकित्सा विभाग के 3, खाद्य विभाग के 2, महिला एवं बाल विकास के 2, राजस्व विभाग के 4, कृषि विभाग के 5, सहकारिता के 1 आवेदन शामिल थे। इनमें से पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के 16, स्वास्थ्य विभाग के 67, पशु चिकित्सा विभाग के 3, महिला एवं बाल विकास के 2, कृषि विभाग के 5, सहकारिता के 1 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शेष 7 आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर समुचित निराकरण किया जाएगा।

स्वसहायता समूह से जुड़कर कपुरिया दीदी बनीं आत्मनिर्भरता

छोटे-छोटे ऋण लेकर की शुरुआत, समूह की भावना से मिला हौसला

मंडला, देशबन्धु। मंडला जिले के बीजाडांडी विकासखंड की टिकरिया ग्राम पंचायत के बम्होरी गाँव की कपूरिया विकडे ने उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अभावों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया।

एक समय था जब कपूरिया दीदी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे उन्हें रोजमर्रा के जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कपूरिया बताती है कि ज्योती आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। समूह और ग्राम संगठन में अपनी बात रखने पर आजीविका

मिशन के माध्यम से उन्हें कृषि उद्यमी के रूप में शांति महिला आजीविका ग्राम संगठन से चयनित किया गया।

इस चयन के बाद कपूरिया दीदी को 35 दिनों का प्रशिक्षण मिला, जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें नई दिशा मिली। प्रशिक्षण के उपरांत कपूरिया दीदी ने अपने समूह से पहली बार में 50,000 रुपये और फिर 90,000 रुपये का ऋण लेकर मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, बल्कि एक कृषि उद्यमी के रूप में उन्होंने ग्राम संगठन की अन्य समूह दीदियों को भी उन्नत कृषि का प्रशिक्षण दिया और उन्हें भी उन्नत कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया। कपूरिया दीदी 8-10 दीदियों को मुर्गी पालन का कार्य भी शुरू करवाया, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई।

कपूरिया दीदी कहती है कि मेरी अब मासिक आय 45,000 से 48,000 रुपये है और मुझे लखपति दीदी के रूप में भी चयनित किया गया है। कपूरिया दीदी कहती है कि कि सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और सामुदायिक सहयोग से कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकता है।

उदय चैक मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

मंडला, देशबन्धु। जिले में शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से नागरिकों को परेशान होना पड़ रहा है इसके बावजूद शासन प्रशासन गहरी नींद से नहीं जा पा रहा है। काफी लंबे से समय से यह समस्या बनी हुई है जिला मुख्यालय मंडला नगर में बड़ा चौराहा से लेकर उदय चैक तक मार्ग को चौड़ा नहीं किया जा रहा है। मार्ग बेहद संकरा है। इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए कई बार मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञात हो मंडला नगर का उदय चैक नगर का हृदय स्थल कहलाता है। यहां पर यातायात का दबाव ज्यादा रहता है। वाहनों का आना-जाना और नागरिकों का आना-जाना यहां पर हमेशा ज्यादा रहता है। मार्ग चौड़ा नहीं है जिसकी वजह से कई बार यहां पर जाम लग जाता है। जाम लगने की वजह से नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। भविष्य में जाम ना लगे इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्ग का चौड़ीकरण करना अति आवश्यक हो गया है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन की बेहोशी टूट नहीं पा रही है। मंडला नगर के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस विषय पर खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से नागरिकों में आक्रोश बना रहा है। नागरिकों की मांग है कि तत्काल यहां पर मार्ग का चैड़ीकरण कार्य किया जाए और हृदय स्थल उदय चौक को यातायात के दबाव से मुक्त किया जाए। मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसी जन अपेक्षा है।

शहर की यातायात व्यवस्था बेपटी, जिम्मेदार बेखबर

मंडला, देशबन्धु। जिले में यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहां देखो वहां इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यातायात व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से नागरिक परेशान हो रहे हैं।

जिला मुख्यालय मंडला में ही खासकर उदय चौक में ऑटो की धमाचौकड़ी और चाय पान ठेला वालों का अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, इसके बावजूद यातायात विभाग ना तो ऑटो वालों को नियंत्रित कर रहा है और ना ही यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। उदय चौक व बस स्टैंड में यातायात व्यवस्था सही नहीं दिखाई देती है इसके अलावा मंडला नगर के अनेक क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था चैपट ही दिखाई देती है जब ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय मंडला में ही है तो फिर संपूर्ण मंडला जिले में यातायात व्यवस्था की कैसी स्थिति होगी आकलन किया जा सकता है।

यातायात व्यवस्था का पूरा अमला बदलने लायक है इसके बावजूद यातायात विभाग में पदस्थ सभी संबंधितों को शासन प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है नियम विरुद्ध चल रहे यात्री वाहनों के खिलाफ परिणाम कारी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिले में जहां देखो वहां ट्रैक्टरों से खनिज परिवहन किया जा रहा है उसे भी नियंत्रित नहीं किया जा रहा है इसके अलावा कई तरह के वाहन यात्रियों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं जिन्हें भी नहीं पकड़ा जा रहा है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है जर्जर वाहन यात्रियों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं इन्हें बंद करने की कार्रवाई यातायात विभाग द्वारा आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है यह जांच का विषय हो गया है।

बिना परमिट के भी वाहन सड़कों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम कर रहे है। इन वाहनों की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है ना ही इन्हें बंद किया जा रहा है कुल मिलाकर यातायात विभाग सिर्फ अवैध कमाई में लगा हुआ है और शासन प्रशासन के आला अधिकारी इन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जन अपेक्षा है यातायात विभाग में पदस्थ संपूर्ण अमला के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए और इन्हें हटाकर संपूर्ण मंडला जिले की यातायात व्यवस्था ठीक की जाए।

स्वच्छ भारत मिशन में खेली जा रही सरकारी धन की होली

कागज में शौच मुक्त हुआ मंडला जिला हकीकत के धरातल में परिणाम शून्य

मंडला, देशबन्धु। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना मध्यप्रदेश के मंडला जिले में साकार नहीं हो पा रहा है इस जिले में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है गंदगी को दूर करने के लिए परिणामकारी.कार्य. ना पहले किए गए और ना अब किया जा रहे हैं फर्जी तरीके से संपूर्ण मंडला जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है जबकि हकीकत सभी को पता है आज भी खुले में शौच से मुक्ति नहीं मिल पाई है खुलेआम शौच किया जा रहा है खासकर जिला मुख्यालय मंडला में ही नर्मदा किनारे खुले में शौच करने वाले देखे जा सकते हैं जब ऐसी स्थिति जिला मुख्यालय मंडला में ही है तो फिर संपूर्ण मंडला जिले में कैसी स्थिति होगी अनुमान लगाया जा सकता है स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में असफल हो गया है बल्कि धांधली मनमानी और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है शौचालयों के

निर्माण में भारी गड़बड़ी की गई है पुराने शौचायलयों की मरम्मत व नए शौचायलयों का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।